अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा

बइजलास – श्री मोहरसिंह मीना आ.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 32/2020 दिनांक रजु : 11/06/2020

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहरसिंह मीना आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा

1. लल्लू पुत्र मूल्या
2. रामस्वरूप } पि0 काल्या
3. जगदीश

} जाति खाती निवासी ग्राम बिडोली तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0

(वादीगण)

बनाम्

1. अशोक कुमार पुत्र गंगू
2. बाबूलाल } पि0 नन्दा
3. शंभू

} जाति खाती निवासी ग्राम बिडोली तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा

(प्रतिवादीगण)

वाद भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक : 28/03/23

प्रकरण का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है कि

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजिरी .... मिनजाबिन मुद्दई रूबरू .... मिनजाबिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद मुताबिक कुरेजात

कम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	लल्लू पुत्र मूल्या हिस्सा 1/3 अशोक कुमार पुत्र गंगू हिस्सा 1/9 बाबूलाल, शम्भू पि0 नन्दा हिस्सा 2/9 राहिन यूको बैंक शाखा डिडवाना रामस्वरूप, जगदीश पि0 काल्या हिस्सा 1/3 राहिन राजस्थान मरूधारा ग्रामीण बैंक शाखा डिडवाना मुर्तहीन जाति खाती सा0 देह	397 398 399/1 399/4	0.01 0.08 0.10 0.17		

उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा (दौसा)

	खातेदार				
	योग किता	4	1.16		2.35
2.	लल्लू पुत्र मूल्या जाति खाती राहिन यूको बैंक शाखा डिडवाना	399/5 399/9	5.10 12.16		
	योग	2	18.06		34.00
3.	रामस्वरूप, जगदीश पि0 काल्या जाति खाती राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा डिडवाना	399/6 399/2 399/7	5.10 8.11 4.05		
	योग	3	18.06		34.00
4	बबूलाल, शम्भू पि0 नन्दा हिस 2/3 अशोक कुमार पुत्र गंगू हिस्सा 1/3 जाति खाती राहिन यूको बैंक शाखा डिडवाना	399/8 399/3	3.15 14.11		
	योग	2	18.06		34.00

निज ....मुबलिग ....✓..........बाबत ....✓..........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ....९..........फीसदी सलाना आज की तारीख से मारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....28......माह..03....सन्..23..को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
आहदा रामगढ़ पचवारा (दौसा)

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दयलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस गवाहान		
फीस गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्माना		
बाबत इजराय हुक्माना			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :—32 / 2020 पीठासीन अधिकारी

रज्जू दिनांक 11/06/2020 श्री मोहरसिंह (आर.ए.एस.)

1. लल्लू पुत्र मूल्या
2. रामस्वरूप } पि0 काल्या
3. जगदीश

} जाति खाती निवासी ग्राम बिडोली तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0

(वादीगण)

बनाम्

1. अशोक कुमार पुत्र गंगू
2. बाबूलाल } पि0 नन्दा
3. शंभू

} जाति खाती निवासी ग्राम बिडोली तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा राज0

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा

(प्रतिवादीगण)

वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक : 28/03/23

उपस्थित :— वादीगण की ओर से श्री देवीसिंह चौहान एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से श्री चन्द्रशेखर बैरवा एडवोकेट

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 397 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 398 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं0 399 रकबा 56 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 56 बीघा 14 बिस्वा वाकै ग्राम बिडोली तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा मे स्थित है। जिसके वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 सहखातेदारा है। आराजी वादग्रस्त मे वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/3, वादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/9, शेष 2/9 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का है राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संलग्न है। आराजी वादग्रस्त कानूनन अविभाजित है। यदपि पक्षकारान ने मौके पर आराजी वादग्रस्त का मनबट से विभाजन कर रखा है तदानुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। पूर्व आराजी वादग्रस्त पर काश्त के बाबत कोई विवाद पक्षकारान

अधिकारी
पचवारा (दौसा)

के मध्य नही था परन्तु अब प्रतिवादीगण आराजी वादग्रस्त मे वादीगण के हिस्से के भू भाग को दबाकर अतिकमण करने के लिए प्रयासरत रहते हैं जिसका उन्हे किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नही है। इसलिए वादीगण को आराजी वादग्रस्त का विभाजन माननीय न्यायालय से करवाना लाजिम अया है। दिनांक 09–06–2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 आराजी वादग्रस्त पर वादीगण के हिस्से के भू भाग पर आ गये तथा वादीगण से कहां कि हम तुम्हारे हिस्से की भूमि पर काश्त करेगे। इस पर वादीगण द्वारा प्रतिरोध करने पर वे वादीगण से झगड़ा फिसाद करने पर आमादा हो गये तथा वादीगण को धमकी देकर गये कि अब हम आगे तुम्हारे हिस्से की भूमि पर ही काश्त करेगे। तुम्हे जो करना है सो कर लेना। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की इस ही धमकी से वाद कारण उत्पन्न होने के कारण वादीगण को अपने हकूक की रक्षार्थ यह वाद पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। वादीगण कानूनन मुश्तहक है कि वे आराजी वादग्रस्त का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन करवाये एवं तदानुसार लगान का अलग अलग निर्धारण कर माल नक्शा ट्रेस राजस्व अभिलेख मे इन्द्राजात करवाये। वादीगण कानुनन मुश्तहक है कि वे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाए कि वे आराजी वादग्रस्त पर वादीगण के हिस्से की भूमि पर जबरन अतिकमण करने से वादीगण के कब्जे काश्त मे व्यवधान उत्पन्न करने से सदैव प्रतिबंधित रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री विष्णु कुमार कटारा एडवोकेट ने वकालतनामा मय जवाब दावा पेश किया तथा तहसीलदार रामगढ पचवारा की एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी। मुताबिक जवाबदावा के वादीगण का वाद पत्र दिनांक 16–10–2020 को प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा से कुर्रेजात प्राप्त हुये जो शामिल मिशल किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बैरवा ने कुरेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर बहस आपत्ति प्रार्थना पत्र सुनी जाकर वकील प्रतिवादीण ने निवेदन किया कि तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा प्रस्तुत कुरेजात मनमाने तरीके से तैयार की गई है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा वकील वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा बनाये गये कुर्रेजात माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 व 21 के मुताबिक एवं मौके पर पक्षकारान के समक्ष बनाये गये है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र की बहस पर गौर कर राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर प्रार्थना

पत्र आपत्ति कुरेजात खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस नियत की गई।

हमने प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत कुर्रेजात का भी अवलोकन किया जिसमे वादीगण का वाद मुताबिक कुर्रेजात स्वीकार किये जाने योग्य है वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अन्तिम रूप से नियमानुसार डिक्री किया जाता है :–

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	लल्लू पुत्र मूल्या हिस्सा 1/3 अशोक कुमार पुत्र गंगू हिस्सा 1/9 बाबूलाल, शम्भू पि0 नन्दा हिस्सा 2/9 राहिन यूको बैंक शाखा डिडवाना रामस्वरूप, जगदीश पि0 काल्या हिस्सा 1/3 राहिन राजस्थान मरूधारा ग्रामीण बैंक शाखा डिडवाना मुर्तहीन जाति खाती सा0 देह खातेदार	397 398 399/1 399/4	0.01 0.08 0.10 0.17		
	योग किता	4	1.16		2.35
2.	लल्लू पुत्र मूल्या जाति खाती राहिन यूको बैंक शाखा डिडवाना	399/5 399/9	5.10 12.16		
	योग	2	18.06		34.00
3.	रामस्वरूप, जगदीश पि0 काल्या जाति खाती राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा डिडवाना	399/6 399/2 399/7	5.10 8.11 4.05		
	योग	3	18.06		34.00
4	बबूलाल, शम्भू पि0 नन्दा हिस 1/3 अशोक कुमार पुत्र गंगू हिस्सा 1/3 जाति खाती राहिन यूको बैंक शाखा डिडवाना	399/8 399/3	3.15 14.11		
	योग	2	18.06		34.00

...ड अधिकारी
...पचवारा(दौसा)